प्रेस विज्ञप्ति

जनपद मुरादाबाद

दिनांक- 07.09.2022

1-चोरी के मोटरसाइकिल के पार्ट्स सहित प्रकाश मे आया 01 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना सिविल लाइन्स-

अवगत कराना है कि दिनांक 24-08-2022 को विक्की सैनी पुत्र शेर सिंह सैनी निवासी हिमगिरी कालोनी थाना सिविल लाइन्स ने अज्ञात चोर द्वारा शनि मंदिर नन्दन स्वीट्स के पास से उसकी मोटर साईकिल (नंबर UP BZ 0511) को चोरी कर ले जाने के संबंध में दी तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0-0692/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में दिनांक 06-09-2022 को उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना सिविल लाइन्स ने मय हमराही पुलिस बल के प्रकाश में आये अभियुक्त राजेश सैनी पुत्र राजेन्द्र सैनी निवासी मौ0 शिव विहार लाईनपार, मानसरोवर के पीछे, थाना मझोला,मुरादाबाद को उक्त चोरी की मोटर साइकिल के पार्ट्स सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमें में धारा- 411 भादवि की वृद्दि की गयी।

2-चोरी के सामान सहित 02 वांछित आरोपी गिरफ्तार, थाना सिविल लाइन्स-

अवगत कराना है कि दिनांक 06-09-2002 को वादी फैजान पुत्र मो0 इकबाल निवासी दौलतबाग थाना नागफनी ने अभियुक्त गण द्वारा वादी के कैफे के गल्ले से 01 चैन पीली धातु व 01 लॉकेट पीली धातु (जिस पर F अकित है), 10,000/- रू0 नकद एवं वादी का वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, तथा पैन कार्ड न0 चोरी कर लेने के संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर तहरीर दी,तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0- 750/2022 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में दिनांक 06-09-2022 की रात्रि को उ0नि0 श्री कृण्ण कुमार थाना सिविल लाइन्स द्वारा मय हमराही पुलिस बल के प्रकाश मे आये अभियुक्तगण 1.आकाश पुत्र मुनेश गुप्ता निवासी बंगला गांव थाना नागफनी,मुरादाबाद व 2.मुन्ना पुत्र रामचन्द्र हलवाई निवासी बंगला गांव थाना नागफनी,मुरादाबाद को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमें में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी।

3-अवैध कच्ची शराब सहित 01 आरोपी गिरफ्तार, थाना बिलारीः-

अवगत कराना है कि 06/07-09-2022 की रात्रि में उ0नि0 श्री रवि प्रकाश थाना बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपी विजेंद्र पुत्र दयाराम निवासी ग्राम सरकड़ा थाना बिलारी,मुरादाबाद को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना बिलारी पर मु0अ0सं0- 423/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

4-चरस सहित अभियुक्त गिरफ्तार,थाना बिलारीः-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 07.09.22 को उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना बिलारी ने मय हमराही पुलिसबल के अभियुक्त गुल हसन पुत्र रईस अहमद निवासी नगर पालिका के पीछे रहमत नगर कस्बा व थाना बिलारी,मुरादाबाद को 250 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-424/2022 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

5-अपशब्द कहने पर व्यक्ति को धक्का देकर घर से बाहर करने,जिस पर व्यक्ति के गिरने पर उसकी मृत्यु हो जाने के प्रकरण में शामिल दो आरोपी गिरफ्तार,थाना बिलारीः-

अवगत कराना है दिनांक 13.01.2022 को वादी पूरन सिंह पुत्र रामचंदी निवासी ग्राम मोहम्मद सादिकपुर थाना बिलारी,मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र की हत्या कर देने के संबंध में दी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-16/2022 धारा-302 भादवि पंजीकृत किया गया। साक्ष्यों/विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुकदमा उपरोक्त में वादी के लड़के धर्मपाल द्वारा अभियुक्त जसवंत की पत्नी के बारे मे अपशब्द कहने पर, जसवंत आदि द्वारा उसके साथ मारपीट करने तथा घर के बाहर धक्का देने पर जमीन पर गिरने के कारण धर्मपाल की अक्षमात मृत्यु का होना पाया गया। उक्त संबंध में मुकदमा उपरोक्त में धारा 302 भादवि को विलोप कर धारा-304 भादवि तरमीम की गई। तथा आज दिनांक 07.09.2022 को प्रभारी निरीक्षक श्री अमित कुमार द्वारा मय हमराही पुलिसबल के अभियुक्तगण 1.जसवंत पुत्र विशंभर 2.सुखदेव पुत्र विशंभर निवासीगण ग्राम मोहम्मद सादिकपुर थाना बिलारी,मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

6-गाली-गलौज,मारपीट करते हुये धारदार हथियार से हमला करने का आरोपी गिरफ्तार,थाना भोजपुरः-

अवगत कराना है दिनांक 25.08.2022 को वादी रिहासत पुत्र अब्दुल गफूर निवासी वाजिदपुर थाना भोजपुर,मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा वादी के पुत्र से कहासुनी कर गाली-गालौज करते हुये मारपीट करने तथा धारदार हथियार से वार कर घायल कर देने के संबंध में दी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-274/22 धारा-323/324/504/308भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में आज दिनांक 07.09.2022 को उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना भोजपुर ने मय हमराही पुलिसबल के आरोपी जिले हसन पुत्र मेहन्दी निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना भोजपुर,मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

7-मोटरसाइकिल चोरी करने के दो आरोपी गिरफ्तार,थाना नागफनीः-

अवगत कराना है दिनांक 03.09.2022 को वादी मौ0 असलम पुत्र मौ0 अकबर निवासी 84 घंटा मन्दिर शिव मूर्ति के पीछे थाना नागफनी, मुरादाबाद ने अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी की मोटर साइकिल होन्डा लिवो को घर के सामने से चुरा लेने के संबंध में दी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-137/2022 धारा-379/420भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में आज दिनांक 07.09.2022 को म0उ0नि0 रैनू तोमर थाना नागफनी द्वारा मय हमराही पुलिसबल के प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. मो0 शोएब पुत्र मो0 इस्लाम निवासी गुम्मद वाली मस्जिद मो0 किसरोल थाना नागफनी,मुरादाबाद 2. अब्बूतला पुत्र मो0 मशकूर हुसैन निवासी गुम्मद वाली मस्जिद मो0 किसरोल थाना नागफनी,मुरादाबाद को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-411 भादवि की वृद्धि की गई।

8-थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत दुकानों में हुई चोरी की घटना का खुलासा कर थाना कोतवाली पुलिस ने 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर, कब्जे से घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा, चोरी करने के उपकरण व चोरी किये 16,800/रू0 नकद किये बरामद।

अवगत कराना है दिनांक 17.08.2022 को वादी जितिन कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार निवासी सागर सराय थाना कोतवाली नगर मुरादाबाद ने अज्ञात चोरो द्वारा वादी की दुकान कोठीवाल नगर बुद्ध बाजार चौकी के सामने का ताला तोड़कर 1 लाख 70 हजार रुपये चोरी कर लेने के संबंध मे थाना कोतवाली नगर पर दी तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 - 112/2022 धारा- 454/380 भादवि पंजीकृत किया गया।
उक्त के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के आदेशानुसार व्यापारिक संस्थानो की चोरी की घटनाओ पर अंकुश लगाने तथा शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु चलाये जा रहे सघन चेकिंग/तलाशी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एंव सहायक पुलिस अधीक्षक /क्षेत्राधिकारी कोतवाली नगर के कुशल पर्यवेक्षण में गठित थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा घटना की सीसीटीवी फुटेज, सुरागरसी पतारसी आदि से दिनांक 07.09.2022 की प्रातः पारकर रोड पर पारकर इण्टर कालेज के पास से मुखबिर की सूचना पर चोरी करने के प्रकाश मे आये 02 अभियुक्तगण 1.विकास राज उर्फ जबर सिह 2.बब्बन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से थाना कोतवाली नगर मुरादाबाद क्षेत्र में व्यापारिक दुकानो मे की गयी रूपयों की चोरी में, उपयोग किये गये उपकरणों/लोहे की रॉड, पेचकस, ई-रिक्शा ,अवैध चाकू व चोरी के शेष बचे 16,800/- रूपये बरामद किये। उक्त व्यापारिक प्रतिष्ठान/दुकानो में की गयी रूपयो की चोरी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर मुरादाबाद पर पूर्व पंजीकृत मु0अ0स0-112/2022 धारा 454/380 भादवि एवं मु0अ0स0-126/2022 धारा-457/380 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1.विकास राज उर्फ जबर सिह पुत्र स्व0 छत्रपाल सिह निवासी मौ0 गोविन्द नगर देहरी गाँव थाना कटघर जिला मुरादाबाद।
2.बब्बन पुत्र बबू निवासी ग्राम नूरपुर थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद

विवरण पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि वह दोनों रात में ई-रिक्शा मे घूमकर बाजार में दुकानों की रैकी कर लेते है और फिर प्रातः भोर के समय जब बाजार सुनसान रहता है तो अपने ई-रिक्शा को ले जाकर दुकान के सामने खडी कर देते है और ई-रिक्शा की आड से इसी नुकीली लोहे की रॉड से दुकान का सटर व दरवाजों पर लगे तालों को तोडकर, सटर को उठाकर दुकानों के अन्दर घूसकर दुकान की अलमारी व रैक के लॉक को इसी नुकीली पेचकस की मदद से खोलकर उसमे रखे रूपयो को चोरी कर ले जाते थे, अन्य सामान की हम कोई चोरी नही करते है। इसी तरह इन्होने बुद्ध बाजार में चौकी के सामने से जाने वाले रास्ते पर एक गली में इलैक्ट्रानिक दुकान की सटर में लगे हुए दोनो तालो को इसी लोहे की रॉड से तोडकर गल्ले को इसी पेचकस से खोलकर उसमे रखे करीब 01 लाख 70 हजार रूपये चोरी कर लिये थे तथा दिनांक 31.08.2022 की रात्रि/प्रातः भोर के अंधेरे मे करीब 04.00 बजे अमरोहा गेट चौमुखापुल के पास बोम्बे कलेक्सन नाम की एक कपडे की दुकान में इसी लोहे की रॉड से दोनों तरफ लगे तालों को तोडकर सटर उठाकर अन्दर रखी लकडी की रैक के लॉक को इसी पेचकस से खोलकर उसमे रखे करीब 80 हजार रूपये चोरी कर ले गये थे और फिर रूपयो को दोनो आपस मे बाट लेते है और अपने व अपने परिवार के भौतिक व आर्थिक सुख व पारिवारिक लाभ मे खर्च कर देते है।

बरामदगी-

- चोरी की घटना मे प्रयुक्त ई-रिक्शा रजिस्ट्रैशन नं0- UP 21 CN 6612
- चोरी की घटना मे प्रयुक्त लोहे की नुकीली रोड।
- चोरी की घटना मे प्रयुक्त लोहे का पेचकस।
- चोरी की घटना से सम्बन्धित बरामद 16,800 रूपये।
- 02 अवैध चाकू

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त विकास राज उर्फ जबर सिह उपरोक्त के विरूद्ध

1.मु0अ0स0 545/2016 धारा 380,411,457 भादवि थाना कटघर जिला मुरादाबाद

2. मु0अ0स0 15/2020 धारा 380,411,457 भादवि थाना कटघर जिला मुरादाबाद

3.मु0अ0स0 541/2020 धारा 380,411,457,413,414 भादवि थाना गलशहीद जिला मुरादाबाद

4. मु0अ0स0 557/2020 धारा 380,411,457,413,414 भादवि थाना गलशहीद जिला मुरादाबाद

5. मु0अ0स0 40/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना गलशहीद जिला मुरादाबाद

6. मु0अ0स0 112/2022 धारा 454/380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर मुरादाबाद

7.मु0अ0स0 126/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर मुरादाबाद

8.मु0अ0स0 131/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर मुरादाबाद

अभियुक्त बब्बन पुत्र बब्बू उपरोक्त के विरूद्धः-

1. मु0अ0स0 0359/2018 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना जी.आर.पी मुरादाबाद

2. मु0अ0स0 0077/2021 धारा 380,411,457 भादवि थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद

3. मु0अ0स0 112/2022 धारा 454/380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर मुरादाबाद

4.मु0अ0स0 126/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर मुरादाबाद

5.मु0अ0स0 132/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर मुरादाबाद

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीमः-

1.श्री रवीन्द्र प्रताप सिह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर ,मुरादाबाद
2. उ0नि0 श्री सतराज सिह थाना कोतवाली नगर ,मुरादाबाद
3. उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना कोतवाली नगर,मुरादाबाद
3. उ0नि0 श्रीन सतेन्द्र शर्मा थाना कोतवाली नगर ,मुरादाबाद
4.का0 मौ0 अनवर थाना कोतवाली नगर ,मुरादाबाद
5.का0 आमोद चौहान थाना कोतवाली नगर ,मुरादाबाद
6. का0 प्रदीप सागर थाना कोतवाली नगर,मुरादाबाद

9- युवती के साथ दुष्कर्म करने व उक्त संबंध में बातचीत का ऑडियों वायरल करने (जिससे युवती द्वारा आत्महत्या कर लेना) के 04 आरोपियो को थाना सोनकपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 04-09-2022 को वादी निवासी थाना सोनकपुर क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की बहन के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने तथा फोन मे हुई वार्ता की आडियो वायरल करने, जिस कारण वादी की बहन द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के संबंध में थाना सोनकपुर पर दी तहरीर के आधार पर थाना सोनकपुर पर मु0अ0सं0- 62/2022 धारा- 376/506/306 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट व 67 ए आईटीएक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना घटित होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, मुरादाबाद के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बिलारी के नेतृत्व में थाना सोनकपुर पुलिस को उक्त घटना के आरोपीयों को गिरफ्तार करने के लिए निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में थाना सोनकपुर पर पंजीकृत उपरोक्त मुकदमे की निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह यादव थाना मैनाठेर द्वारा अब तक की गई विवेचना, पूछताछ एवं छानबीन एवं उपलब्ध साक्ष्यो से पाया गया है, कि वादी की पत्नी श्रीमति अन्जुम का चाल चलन ठीक नही था। जिसकी पूरे मौहल्ले में चर्चा थी। इसी को लेकर वादी की बहन मृतका एवं अन्य घरवाले उसको आये दिन चाल चलन को लेकर ताने देते थे एवं इसी को लेकर आये दिन घर में कलह रहती थी। श्रीमती अन्जुम ने अपने पडोसी फहीम पुत्र इन्तजार निवासी ग्राम सोनकपुर को फोन किया और बताया कि मेरी ननद एवं गाँव के वसीम पुत्र इल्यास के अवैध सम्बन्धो की गाँव में बात चल रही है, क्या यह सही है इस पर फहीम ने श्रीमती अन्जुम से कहा कि इस बात को मैने भी सुना है। इस पर श्रीमती अन्जुम ने फहीम उपरोक्त से कहा कि तुम कैसे भी वसीम से बात करके मुझे अपने कानो से इस बात को सुनवाओ ताकि मैं अपने घरवालो द्वारा मेरे चाल चलन को लेकर दिये जा रहे तानो के लिये दबाव बना सकू, इस पर फहीम ने कहा कि वह वसीम को अभी कॉन्फ्रेन्स कॉल पर लेकर आपको सुनवाता हूँ परन्तु आप उसकी रिकार्डिंग मत करना। इस पर श्रीमती अन्जुम ने कहा कि उसके पास छोटा फोन है जिसमें रिकार्डिंग नही होती है। फहीम द्वारा श्रीमती अन्जुम को कॉन्फ्रेन्स पर लेकर वसीम से दिनांक 29.08.2022 को मृतका एवं वसीम के शारीरिक सम्बन्धो के बारे में वार्ता की गयी, जिसे

श्रीमती अन्जुम द्वारा शान्त रहकर सुना गया एवं अपने मोबाइल फोन में रिकार्ड किया गया। श्रीमती अन्जुम द्वारा रिकार्ड की गयी आडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से दिनांक 31.08.2022 को उसके परिवारी देवर जहीर पुत्र कल्लन निवासी ग्राम व थाना सोनकपुर को भेजा गया और फोन के माध्यम से वार्ता करके बताया गया कि इसके बारे में वह उसके घरवालो से बात करे। इस आडियो को सुनकर जहीर द्वारा श्रीमती अन्जुम के पति (वादी) जो काम के सिलसिले में रूद्रपुर गया हुआ था, को दिनांक 01.09.2022 को फोन करके बुलाया गया। इस पर वादी ने गाँव वापस आकर दिनांक 02.09.2022 को जहीर एवं अपनी पत्नी श्रीमती अन्जुम के साथ आडियो क्लिप में हो रही वार्ता के बारे में अपनी बहन (मृतका) से घर पर बात कर जानकारी की। जिस कारण दिनांक 03.09.2022 को मृतका द्वारा अपने मकान के पिछले हिस्से के बरामदे में अपने दुपट्टे से फन्दा लगाकर स्टूल पर खडे होकर फाँसी लगा ली गयी। जिसे अचेत अवस्था में जहीर, वादी आदि द्वारा महमूदपुर माफी प्राईवेट अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीमती अन्जुम एवं जहीर द्वारा आडियो वायरल करके अपने – अपने मोबाइल फोन से आडियो क्लिप एवं अन्य काल्स को पूर्व में ही डिलीट कर दिया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी बिलारी के पर्यवेक्षण में अब तक की तमामी विवेचना , पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों एवं परिस्थितियो से मृतका युवती की मृत्यु से करीब 10-12 दिन पूर्व अभियुक्त वसीम द्वारा गाँव के तालाब के गड्ढो में मृतका युवती के साथ जबरन बलात्कार करने एवं जान से मारने की धमकी देने। अभियुक्ता श्रीमती अन्जुम (मृतका की भाभी) द्वारा मृतका युवती एवं अन्य घरवालो द्वारा अन्जुम के चाल चलन को लेकर दिये जा रहे तानो एवं कलह को लेकर मृतका युवती एवं पारिवार वालो पर दबाव बनाने के लिये अभियुक्त फहीम पुत्र इन्तजार के साथ योजना बनाकर अभियुक्त वसीम द्वारा मृतका युवती के साथ बनाये गये अवैध सम्बन्धो की अभियुक्त फहीम एवं वसीम के बीच फोन पर वार्ता कराने एवं अभियुक्ता अन्जुम द्वारा कान्फ्रेन्स पर रहकर दोनो की बात सुनने तथा रिकार्डिंग करने एवं उक्त रिकार्डिंग को जहीर को भेजने तथा जहीर एवं अन्जुम द्वारा आडियो को वायरल करने , जिसके कारण गाँव में बदनामी हो जाने के कारण मृतका युवती द्वारा फाँसी लगाकर आत्महत्या करना पाया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 07.09.2022 को नामित अभियुक्त वसीम एवं प्रकाश में आये अभियुक्त फहीम को बिलारी बस स्टैण्ड से एवं प्रकाश में आयी अभियुक्ता श्रीमती अन्जुम को उसके मस्कन ग्राम सोनकपुर से तथा अभियुक्त जहीर को उसके मेडिकल स्टोर ग्राम सोनकपुर से कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार किये गये चारो अभियुक्त वसीम , फहीम , श्रीमती अन्जुम एवं जहीर द्वारा पूछताछ पर विवेचना से प्रकाश में आये उपरोक्त घटनाक्रम एवं तथ्यो को स्वीकार किया गया है। विवेचना से अभियोग में धारा 120 बी भादवि की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण –

1- वसीम पुत्र इल्यास निवासी ग्राम व थाना सोनकपुर जनपद मुरादाबाद
2- फहीम पुत्र इन्तजार निवासी ग्राम व थाना सोनकपुर जनपद मुरादाबाद
3- श्रीमती अन्जुम पत्नी इरशाद निवासी ग्राम व थाना सोनकपुर जनपद मुरादाबाद
4- जहीर पुत्र कल्लन निवासी ग्राम व थाना सोनकपुर जनपद मुरादाबाद

बरामदगी का विवरण –

1- अभियुक्ता श्रीमती अन्जुम का मोबाइल फोन
2- अभियुक्त फहीम से बरामद मोबाइल फोन
3- अभियुक्त वसीम से बरामद मोबाइल फोन
4- अभियुक्त जहीर से बरामद मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1- श्री जितेन्द्र सिंह यादव निरीक्षक थाना मैनाठेर (विवेचक)
2- श्री हम्बीर सिंह थानाध्यक्ष सोनकपुर,मुरादाबाद।
3- श्री राकेश कुमार उ0नि0 थाना सोनकपुर,मुरादाबाद।
4- का0 अनिल थाना सोनकपुर, मुरादाबाद।
5- का0 अजब सिंह थाना सोनकपुर, मुरादाबाद।
6- म0का0 पूजा गौतम थाना सोनकपुर,मुरादाबाद।
7- म0का0 सविता थाना सोनकपुर,मुरादाबाद।